रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 1996/भाद्रपद 12, 1918
No. 504] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 1996/BHADRA 12, 1918

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

आदेश
नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1996

का. आ. 616 (अ).—का. आ. सं. 752(अ) दिनांक 29-8-95 द्वारा प्रपुंज औषध डॉक्सीसाइक्लिन एच. सी. एल. और उसके सूत्रयोगों के लिए मैसर्स रैनबैक्सी लैबोरेट्रिज लि. को कीमत नियंत्रण से विशिष्ट छूट दी गई थी।

2. औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए मार्गदर्शी रूपरेखा सं. 1/1995 दिनांक 2 जून, 1996 के पैरा 2 में यथाउपबन्धित केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त छूट को तत्काल प्रभाव से वापस लेती है।

[सं. 32(2)/95 पी. आई.I]
अनन्या रे, निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(Department of Chemicals and Petro-chemicals)

ORDER
New Delhi, the 3rd September, 1996

S.O. 616 (E).—Specific exemption from price control had been granted in favour of M/s Ranbaxy Laboratories Ltd. for the bulk drug Doxycycline Hcl and its formulations vide S.O. No. 752(E) dated 29-8-95.

2. As provided for in Para 2 of the Guideline No. 1/1995 dated 2nd June, 1995 issued in exercise of powers conferred by Para 23 of the Drugs (Price Control) Order, 1995, the Central Government hereby withdraws the above exemption with immediate effect.

[No. 32(2)/95–PI. I]
ANANYA RAY, Director

2131GI/95 Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996